पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक: 2505 दिनांक : 31-07-2021

समस्त प्राचार्य,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
सीकर एवं झुंझुनू।

विषय: सत्र 2020–21 की परीक्षाओं हेतु दिशा–निर्देश।
संदर्भ: राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(7)/शिक्षा–4/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 04.07.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संदर्भ में जारी दिशा–निर्देश एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश की अनुपालना में कोविड–19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मध्यनजर रखते हुए विश्वविद्यालय की सत्र 2020–21 की परीक्षाएं निम्नानुसार आयोजित होंगी:

1. कोविड–19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मध्यनजर रखते हुए स्नातक/स्नातकोत्तर/सेमेस्टर परीक्षा 2020–21 में जिन प्रश्न–पत्रों की समयावधि 3 घंटे (तीन घंटे) निर्धारित है, के स्थान पर प्रति प्रश्न–पत्र की 1½ घंटे समयावधि निर्धारित की जाती है। स्नातक कला/वाणिज्य/विज्ञान संकाय जिसमें एक विषय में दो प्रश्न–पत्रों (two papers) का आयोजन होता है, के संदर्भ में परीक्षार्थियों के दोनों प्रश्न–पत्रों (two papers) की परीक्षा निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत एक ही पारी में (1½ +1½ =3 घंटे की समयावधि में) आयोजित होगी। इसी प्रकार के कला/विज्ञान संकाय के कुछ विषय के प्रश्न–पत्र जिनकी संख्या दो से अधिक है, उनकी परीक्षाओं का आयोजन दो प्रश्न–पत्रों (प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न–पत्र) का एक ही पारी में (1½ +1½ =3 घंटे की समयावधि में) आयोजित होगी तथा शेष प्रश्न–पत्र (तृतीय प्रश्न–पत्र) की परीक्षा आगामी दिवस में डेढ़ घंटे की समयावधि में करवायी जायेगी। एक ही पारी में (1½ +1½ =3 घंटे की समयावधि में) दो प्रश्न–पत्रों के आयोजन में प्रश्न–पत्र वितरण में लगने वाले समय की क्षतिपूर्ति बाबत 05 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षार्थियों को देय होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि प्रथम प्रश्न–पत्र की उत्तर पुस्तिका के संग्रहण के पश्चात ही द्वितीय प्रश्न–पत्र और उत्तर–पुस्तिका वितरित की जाये।
2. स्नातक कला संकाय के विषय Deaf, Dumb & Blind के प्रश्न–पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 4 घंटे (चार घंटे) निर्धारित है, के स्थान पर प्रति प्रश्न–पत्र की 2 घंटे (दो घंटे) समयावधि निर्धारित की जाती है तथा परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50 प्रतिशत प्रश्न–पत्र को ही हल करना होगा।
3. परीक्षार्थियों को दिये गये प्रश्न–पत्र में विकल्प जैसे:– यूनिट/इकाई तथा अथवा/Or के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50 प्रतिशत प्रश्न–पत्र को ही हल करना होगा। परीक्षार्थी द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उत्तर–पुस्तिका में हल किये गये सर्वोतम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक

Scanned with CamScanner

स्वीकार किया जायेगा। परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किये गये 50 प्रतिशत प्रश्नों के अंकों को 100 प्रतिशत में परिवर्तित करते हुये विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

उदाहरणार्थ

अधिकतम अंक सीमा	संशोधित 50 प्रतिशत अंक सीमा
100 अंक	50 अंक
80 अंक	40 अंक
50 अंक	25 अंक

4. जिन प्रश्न–पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 1½ घंटे एवं 2 घंटे निर्धारित है, उन प्रश्न–पत्रों को परीक्षार्थियों द्वारा हल करने की समयावधि भी 1½ घंटे एवं 2 घंटे यथावत रहेगी एवं परीक्षार्थियों को पूर्व वर्षों की भांति कुल पूर्णांकों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रश्न–पत्र में विकल्प जैसे:– अथवा/Or एवं इकाई (Unit) के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी।
5. स्नातक/स्नातकोत्तर/सेमेस्टर परीक्षा 2020–21 की प्रायोगिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों से परीक्षार्थियों के द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई फाईल/असाईनमेंट के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जाये जिसमें परीक्षार्थी की व्यक्तिशः उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जिन प्रायोगिक विषयों में केवल Presentation, Viva-Voce & Seminar का आयोजन होता है उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय/विभाग द्वारा करवाया जाये। जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है उन पाठ्यक्रमों में फाईल/असाईनमेंट/ऑन लाईन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकित किया जाये।
6. कोविड–19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केन्द्र, राज्य सरकार (गृह विभाग) द्वारा समय–समय पर जारी एडवाइजरी एवं समस्त दिशा–निर्देशों की पालना यथा मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केन्द्र को सेनेटाइज करवाना आदि की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करेंगे ताकि संक्रमण की विषमता को नियंत्रित करते हुये परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये परीक्षायें सम्पन्न कराई जावे।

(डॉ. अरिन्दम बासु)
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक: 2506

दिनांक : 31-07-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति सचिवालय।
2. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. अरिन्दम बासु)
परीक्षा नियंत्रक

Scanned with CamScanner